एकात्म भारत

वैशाख कृष्ण पक्ष, अमावस, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2077

इदं राष्ट्राय इदं न मम्

22 मई 2020

e-paper : www.ekatmabharat.

अब अयोध्या को बौद्ध धर्म से जोड़ने का षड्यंत्र

बाबरी में हारे लोग खोज रहे बौद्ध में उम्मीद, अवशेषों को अशोक के काल का बताकर नए विवाद की तैयारी

अयोध्या

अयोध्या में नए राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि ने वहां मंदिर होने के और भी अकाट्य प्रमाण दिए हैं। 11 मई से प्रारंभ हुई जन्मभूमि के समतलीकरण में मंदिर के अवेशष मिले हैं। इसके अलावा भारी संख्या में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तम्भ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तम्भ सहित 5 फ़ीट का एक शिवलिंग भी मिला है। खुदाई के दौरान पुरातत्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली हैं जैसे- कलश, पुष्प, आमलक आदि। लेकिन अब विध्न संतोषियों ने इस मामले में हिन्दुओं के खिलाफ बौद्ध धर्म को खड़ा का करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ कर दिया है।

जैसे ही श्री राम जन्मभूमि स्थल से भूमि समतलीकरण के दौरान पुराने मंदिरों के अवशेष निकलने के समाचार सामने आए तो "सिक्युलरिस्ट" सक्रिय हो गए और अपने घरों में बैठे-बैठे ही इन अवशेषों को अशोक के काल का घोषित करते हुए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि को बौद्ध धर्म से

जोड़ने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। इन लोगों ने इसके पक्ष में सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाए। लेकिन इन हैशटैग को चलाने वालों को देखकर पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि बाबरी मस्जिद मामले में न्यायालय में मुहं की खा चुके हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद खान ने दावा किया था कि जो अवशेष मिले हैं, वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं।

वहीं इस मामले में राम मंदिर के पक्ष में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। फिल्म कलाकार मनोज जोशी ने ट्वीट किया कि 'अयोध्या में आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जय श्री राम!'

2018 से प्रारंभ हुआ था षड्यंत्र

इस मामले में अयोध्या निवासी विनीत कुमार मौर्य ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विनीत का दावा था कि विवादित स्थल के नीचे कई अवशेष दबे हुए हैं जो अशोक काल के हैं और इनका कनेक्शन बौद्ध धर्म से है। याचिका में दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस जगह पर बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था। मौर्य ने अपनी याचिका में कहा था, 'एएसआई की खुदाई से पता चला है कि वहां स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे थे जो किसी बौद्ध विहार की विशेषता होते हैं।' मौर्य ने दावा किया था, 'जिन 50 गड्ढों की खुदाई हुई है, वहां किसी भी मंदिर या हिंदू ढांचे के अवशेष नहीं मिले हैं।'

बाबरी के खेल में असफल रहने के बाद अब इसे बौद्ध के नाम पर उलझाने का षड्यंत्र बहुत पहले ही रच दिया गया था। हालांकि इतिहास की किसी भी पुस्तक में इसका बौद्ध धर्म से संबंध नहीं मिला है।

सोशल वोकल

@drbhavnashukla

भीतर क्षमा हो,
तो क्षमा निकलेगी..
भीतर क्रोध हो,
तो क्रोध निकलेगा..
इसलिए जब भी कुछ
हमसे बाहर निकले..
तो दूसरों को दोषी न ठहरायें।
यह हमारी ही सम्पदा है,
जिसको हम अपने भीतर छिपाये थे..

डॉ भावना शुक्ल
व्याख्याता, कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर।

विश्वविजय पथ के उन्नायक,
नीति निपुण सच्चरित्र महान।
कर पावन नेतृत्व देश का,
बढ़ा दिया जग में सम्मान।।

कश्मीर में हिंदू तीर्थस्थलों के संरक्षण बिल की मांग

जम्मू

जम्मू कश्मीर में हिन्दू धर्म स्थलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर की नई डोमिसाइल नीति और अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने से उत्साहित कश्मीरी पंडित ने अब सरकार से हिंदू धार्मिक व तीर्थस्थलों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग की है।

गुरुवार को कश्मीरी पंडितों के संगठन ने कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें पीएम केयर के लिए 1.75 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल से कश्मीरी पंडित समुदाय के रोजगार और घाटी में उनकी वापसी के लिए कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया। कश्मीरी पंडितों ने डोमिसाइल नीति को राष्ट्रवादियों की जीत और अलगाववादियों व उनके समर्थकों की हार बताया है।

कश्मीर पंडित समुदाय के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने दो अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों के रूप में गुरुवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से राजभवन में

मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछड़ेपन और अलगाववाद के सभी मुख्य कारणों को हटा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर घाटी में हिंदू समुदाय के सभी धर्मस्थलों व उनके परिसंपत्तियों और तीर्थस्थलों के संरक्षण और विकास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के पास एक बिल भेजा गया है, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमने कश्मीरी पंडित समुदाय के रोजगार और घाटी में उनकी वापसी के लिए कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर लौटने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए आवासीय कॉलोनियां तैयार करने के लिए जमीन को चिह्नित किया जा चुका है।

डोमिसाइल से समाप्त हुई एक वर्ग की राजनीति

कश्मीरी पंडितों ने कहा कि डोमिसाइल की व्यवस्था ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह मुख्यधारा से जोड़ दिया है। यहां बीते 70 वर्षों से एक वर्ग विशेष की सियासत समाप्त हो गई है। यह राष्ट्रवादियों की जीत है। डोमिसाइल व्यवस्था के तहत उन लोगों को भी फायदा होगा जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और 40-50 साल पहले यहां से चले गए थे। पूर्व एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि बीते 70 वर्षों से कश्मीर में जो अन्याय और अलगाववाद का दौर चल रहा था, उसे समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उपराज्यपाल का आभार जताने के लिए ही हम आज यहां आए थे।

चर्चों के शक्तिशाली संगठन के समानांतर हिंदू मंदिरों का प्रबंध तंत्र खड़ा किया जाए

जीतेंद्रानंद सरस्वती

लेखक अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं

जागरण से साभार

डकांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंदिरों में पड़े सोने को अधिगृहित करने की बात कहकर भारतीय राजनीति में धर्म आधारित एक नए ध्रुवीकरण की पूर्व पीठिका तैयार कर दी है। पृथ्वीराज चव्हाण का तर्क है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश के मंदिरों में अनुमानित रूप से एक टिलियन डॉलर (करीब 76 लाख करोड़ रुपये) का सोना है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया में वामपंथी लॉबी की ओर से हिंदुओं मंदिर से सोना निकालो का अभियान भी छिड़ा था। इसमें वे भी शामिल थे जिनकी मंदिरों में कोई आस्था नहीं है और सनातन हिंदू धर्म एवं उसकी पूजा-पद्धतियों से कोई लेना-देना नहीं है। हिंदू मंदिरों के प्रति दुर्भावना कांग्रेस के पूर्वाग्रह का मूल है। इसी दुर्भावना के कारण इंदिरा गांधी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश का विरोध हुआ था।

मंदिरों की संपत्ति का लोभ अकारण नहीं है। मुगल काल का इतिहास हजारों-हजार मंदिरों के टूटने का साक्षी है। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद यह सोचा जाने लगा था कि मुगलों से जो कुछ बचा है उसे अंग्रेज लूट लेंगे, परंतु धर्म के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करने की हिंदू समाज की भावना के कारण अंग्रेजों ने इस समाज से सीधे टकराव लेने की जगह उसे विभक्त करो और शासन करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने एक कानून (मद्रास हिंदू टेंपल एक्ट 1843) बनाकर मंदिरों की संपदा को लंदन भेजना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेज असफल हो गए, फिर भी उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम किया। इसके लिए कई कानून बनाए गए जैसे सोसायटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट। 1923 में मद्रास हिंदू टेंपल एंड रिलीजियस प्लेस एंडाउमेंट एक्ट बना। 1920 से लेकर 1947 तक भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लीज पर दे दी गई। आजादी के बाद कांग्रेस अंग्रेजों की दिखाई राह पर ही आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की रुचि के कारण मद्रास हिंदू टेंपल एक्ट की जगह द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, 1951 बना। इसके बाद स्वतंत्र भारत ने हिंदू मठ-मंदिरों की संपत्ति का गलत उपयोग होने का नया दौर देखा।

संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों को सारे धार्मिक अधिकार देने के साथ उनके मस्जिद, चर्च एवं शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था की गई, लेकिन हिंदू मठों पर आश्रित धार्मिक शिक्षा व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने का सिलसिला कायम किया गया। भारत में प्रत्येक मंदिर के साथ एक विद्यालय, चिकित्सालय, गांव तक आने की सड़क अर्थात संपर्क मार्ग एवं गांव के हर सुख-दुख में संपन्न होने वाले संस्कारों के लिए मंदिर का बड़ा परिसर एवं उसकी ठाकुरबाड़ी का उपयोग होता रहा है। यही भारत की सामाजिक एकता का बड़ा मंत्र था, जिसे नष्ट किया गया। कम-अधिक मात्र में दक्षिण भारत के मठ आज भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े काम कर रहे हैं, परंतु उत्तर भारत के मंदिर-मठों में इसका अभाव दिख रहा। 2012-13 में केरल सरकार की आधीनता वाले ऐतिहासिक पद्मनाभ मंदिर के स्वर्णाभूषणों की गणना एवं मूल्यांकन लगभग पांच लाख करोड़ रुपये का किया गया था। मूल्यांकन का यह कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति की देखरेख में होने के बावजूद करोड़ों का सोना चोरी हो गया, जबकि पुजारी एवं इस मंदिर का निर्माण कराने वाले राजा रवि बर्मन परिवार की देखरेख में हजारों वर्षों में भी दस ग्राम सोने की चोरी का कोई समाचार सामने नहीं आया। हिंदू धर्म दान एक्ट, 1951 के जरिये कांग्रेस ने राज्यों को अधिकार दे दिया कि बिना कोई कारण बताए वे किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं। यह कानून बनने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 34 हजार मंदिरों को अपने अधीन ले लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई लगभग 3500 करोड़ रुपये हैं। इतना धन मिलने के बाद भी तिरुपति मंदिर को सिर्फ सात प्रतिशत फंड मंदिर के रख-रखाव के लिए वापस मिलता है। इस मंदिर के बेशकीमती रत्न ब्रिटेन के बाजारों में बिकते पाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी ने तिरुपति की सात पहाड़ियों में से पांच को सरकार को देने का आदेश दिया था। इन पहाड़ियों पर चर्च का निर्माण किया जाना था। मंदिर को मिलने वाली चढ़ावे की रकम में से 80 प्रतिशत गैर हिंदू कार्यों के लिए खर्च की जाती है। मंदिरों के दान में भ्रष्टाचार का स्तर यह है कि कर्नाटक के दो लाख मंदिरों में से लगभग 50 हजार रखरखाव के अभाव में बंद हो गए हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि किसी धर्म को समाप्त करना हो तो उसके आश्रय स्थलों यानी मठ-मंदिरों आदि को समाप्त कर दो। आज भारत में लगभग नौ लाख मंदिर हैं, जिनमें चार लाख मंदिर सरकार के पास हैं। क्या संवैधानिक रूप से पंथनिरपेक्ष राज्य का मुखिया मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि का संचालन कर सकता है? मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की। जिन लोगों को मठ-मंदिरों में पड़ा धन दिखा, क्या उन्हें देश में चैरिटी के नाम पर आने वाले लाखों-करोड़ों का चंदा नहीं दिखता? क्या इस चंदे का इस्तेमाल धर्मांतरण में नहीं होता? अब समय आ गया है कि चर्चों के शक्तिशाली संगठन के समानांतर हिंदू मंदिरों का प्रबंध तंत्र खड़ाकर शिक्षा-स्वास्थ्य और प्राचीन ऋषि परंपरा में शोध एवं विकास का काम किया जाए। इस हेतु मंदिरों का योगदान परिलक्षित होना चाहिए।

शनि जयती विशेष : जानिए शनिदेव के जन्म की दो कथाएं

ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी आज देशभर में शनि जयंती मनाई जा रही है। इस अमावस्या को ही महिलाएं अपने पति की दीर्घायु का व्रत रखती हैं और बड़ सावित्री का त्योहार मनाती हैं। अक्सर शनि का नाम सुनते ही डर लगने लगता है,उन्हें शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शनिदेव अच्छे का परिणाम अच्छा और बूरे का बूरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनिदेव के कोप का शिकार है तो रूठे हुए शनिदेव को मनाया भी जा सकता है।

स्कंदपुराण में शनिदेव के जन्म की कथा के बारे में बताया गया है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेवता के साथ हुआ। सूर्यदेवता का तेज बहुत अधिक था जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती। वह सोचा करती कि किसी तरह तपादि से सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गये संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना तीन संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे इसके लिये उन्होंने एक युक्ति निकाली उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया जिसका नाम संवर्णा रखा और बच्चों की देखरेख का जिम्मा उसको सौंपकर खुद अपने पिता के घर चली गई। पिता के साथ न देने पर संज्ञा घोड़ी का रूप लेकर वन में जाकर तपस्या करने लगी। वहीं छाया रूप होने के कारण सवर्णा को भी सूर्य के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य और संवर्णा के मिलन से फिर 3 संतानें हुईं-मनु, शनिदेव भद्रा।

सूर्य देव ने कहा यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता

एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव छाया के पुत्र होने के कारण वर्ण में काले थे। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गये, उनके घोड़ों की चाल रूक गयी। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का अहसास करवाया।

सूर्यदेव अपने किये का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिये क्षमा याचना कि इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। वे न्यायाधिपति भी कहे जाते हैं।